W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /5861/2011/ जिला गंगानगर

1— चन्नीदेवी पत्नि भीखाराम
2— चुन्नीलाल पुत्र भीखाराम
3— लालूराम पुत्र भीखाराम
समस्त जाति नायक, निवासी 67 एन.पी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1— लाली पत्नि गोविंदराम
2— अर्जनराम
3— दीनदयाल
4— मनोहरलाल
5— पप्पूराम
6— वीरूराम
7— हंसराज
क्रमांक 1 से 7 समस्त पुत्रान गोविन्दराम जाति नायक, निवासी 67 एन.पी.तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
8— पारादेवी पत्नि सोहनलाल पुत्री गोविंदराम निवासी 16—पी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
9— गौरादेवी पत्नि सूरजाराम पुत्री गोविंदराम जाति नायक, निवासी 67 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
10— ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति नायक, निवासी 67 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
11— हीरादेवी पत्नि भंवरलाल पुत्री सुरजाराम जाति नायक निवासी पटरोदा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
12— सुनिता पुत्री सुरजाराम नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता गौरादेवी पत्नि सुरजाराम
13— भानीराम पुत्र भीखाराम
14— गौरादेवी पत्नि लूनाराम पुत्री भीखाराम
क्रमांक 12 से 14 समस्त जाति नायक, निवासी 67 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
15— पेमीबाई पत्नि सेवाराम पुत्री भीखाराम जाति नायक, निवासी 68 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

16— गंगाबाई पत्नि लूनाराम पुत्री भीखाराम जाति नायक निवासी बानवाली तहसील सादुरशहर जिला श्रीगंगानगर
17— मेथीबाई पत्नि मूलाराम पत्नि भीखाराम जाति नायक निवासी लूणकरणसर जिला बीकानेर
18— बिशनाराम
19— मूलाराम
20— रामलाल
21— तेजाराम
क्रमांक 18 से 21 समस्त पुत्रान भीखाराम जाति नायक, निवासी 67 एन.पी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
22— जमनादेवी पत्नि मंगलाराम पुत्री भीखाराम जाति नायक, निवासी 66 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
23— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर
24— ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स जरिये ब्रांच मैनेजर रायसिंहनगर

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.एस.बराड, अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः— 18/07/2013

1— यह निगरानी न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण संख्या 116/03 में पारित आदेश दिनांक 07—07—2011 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किः—

(1) अप्रार्थीगण गोविंदराम आदि ने एक दावा न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर (अधीनस्थ न्यायालय) में अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 92—ए व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या—1 भीखाराम को बतौर शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आने पर बहिस्सा बराबर भूमि

आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित भूमि का तबादला कराने पर चक 67 एन.पी. के पत्थर नम्बर 346/345 के मुरब्बा नम्बर 4 की 25 बीधा भूमि दिनांक 28–03–1984 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम को मिली है। प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम ने दूसरी औरत से करेवा कर लिया जिससे उसके छः लडके है। पंचायत ने आपस में राजीनामा करवा कर वादीगण गोविन्दराम आदि को मुरब्बा नंबर 4 के किला नम्बर 16 से 25 की कुल 10 बीधा भूमि का कब्जा दे दिया जो लगातार वादी के कब्जेकाश्त में चली आ रहीं है। परिवार का मुखिया प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम होने के कारण उक्त विवादित आराजी राजस्व अभिलेख उसके नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि वादीगण गोविन्दराम, भानीराम व बीरांदेवी तथा प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम – चारों को भारत सरकार द्वारा बतौर शरणार्थी दी गई है। अतः तीनों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम का उक्त 25 बीघा भूमि में प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि में 3/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु प्रतिवादी भीखाराम ने राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार विभाजन करने से इंकार कर दिया, जिससे दावा प्रस्तुत करना पड़ा। अतः वाद डिक्री किया जाकर वादीगण एंव प्रतिवादी भीखाराम प्रत्येक को 1/4 हिस्से का हकदार घोषित किया जावे।

(2) उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–06 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 23–10–2006 से व्यथित होकर वादीगण गोविन्दराम आदि द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2007 द्वारा वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुये उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 23–10–2006 निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–09–2007 से व्यथित होकर प्रतिवादी भीखाराम आदि ने द्वितीय अपील राजस्व मंडल में प्रस्तुत की। राजस्व मंडल की खंडपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 06–01–2011 द्वारा द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे मूल वाद में उभय पक्ष, विशेषकर राज्य सरकार, को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(3) प्रकरण निर्देशों के साथ उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण चन्नीदेवी आदि ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी भीखाराम का निधन हो चुका है और प्रार्थीगण मूल वाद में स्व. भीखाराम के वारिसान के रुप में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये हैं। उक्त स्व. भीखाराम ने अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की पंजीकृत वसीयत निस्पादित कर दी थी। अतः प्रार्थीगण उक्त वसीयत के आधार पर अपना जवाबदावा व प्रतिवाद (counter-claim) प्रस्तुत करना चाहते हैं। उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपने आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2011 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 07–07–2011 से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मंडल में पेश की गई है।

3– बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2011 तथ्य, साक्ष्य एवं विधि के विपरीत है। विवादित भूमि प्रार्थिया के पति भीखाराम अकेले को आवंटित हुई है जिसकी किश्तें भी भीखाराम ने जमा करवाई तथा विवादित भूमि पर उसी का कब्जाकाश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि स्व. भीखाराम की स्वअर्जित भूमि थी, जिसे उक्त प्रतिवादी भीखाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयत निष्पादित कर प्रार्थीगण को दे दी है। इस कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर अपना जवाबदावा व प्रतिदावा (counter-claim) प्रस्तुत करने के अधिकारी है। उपखंड अधिकारी ने प्रावधानों के विपरीत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–07–2011 विधिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे एवं प्रार्थीगण को जवाबदावा व प्रतिदावा (counter-claim) प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कहा गया है किः–

(1) विवादित आराजी भीखाराम को अकेले आवंटित नहीं हुई थी, अपितु प्रतिवादी भीखाराम व वादीगण गोविंदराम आदि को संयुक्त रुप से आवंटित हुई थी। उक्त भूमि में भीखाराम का मात्र 1/4 हिस्सा है और शेष 3/4 हिस्सा वादीगण गोविन्दराम आदि का है। विचाराधीन वाद में यही मुख्य विवाद है। भीखाराम को सारी भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर अधीनस्थ न्यायालय में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण पहले से ही अपीलीय न्यायालय व मण्डल न्यायालय में उपस्थित थे। मृतक भीखाराम द्वारा पूर्व में जवाबदावा पेश किया जा चुका है और प्रार्थीगण मृतक भीखाराम के वारिसान होने से उक्त जवाबदावे से पाबंद है। मूलवाद का निर्णय होने पर ही विनिश्चयन होगा कि मृतक भीखाराम का वादग्रस्त भूमि में कितना हिस्सा है। जो भी हिस्सा भीखाराम को मिलेगा, उसके वारिसान के रुप में प्रार्थीगण उतनी ही भूमि के हकदार हैं और उससे अधिक की वसीयत करने का कोई हक स्व. भीखाराम को नहीं हैं।

(2) विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी तर्क है कि वाद राजस्व मण्डल न्यायालय से प्रतिप्रेषित होकर विचारण न्यायालय में लम्बित है और प्रतिप्रेषण आदेश में मण्डल न्यायालय द्वारा दिये निर्देश की सीमा तक ही वाद की सुनवाई करके निर्णय विचारण न्यायालय को करना है। प्रार्थीगण वसीयत के आधार पर वाद को पुनः प्रारम्भिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण के विरासतन अथवा वसीयती अधिकार केवल भीखाराम के हिस्से तक ही हैं, जिसका निर्णय वाद के निर्णय से होना है और वाद का निर्णय वादीगण के वाद अभिवचनों व भीखाराम के जवाबदावे के आधार पर ही होना है। अतः दौराने वाद भीखाराम की वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण को जवाबदावा/ प्रतिदावा अवसर दिया जाना उचित नहीं हैं।

(3) विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रकरण के प्रतिप्रेषित होने के स्तर पर पुनः जवाबदावा प्रस्तुत करने की इजाजत देना प्रावधानों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है जिससे निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश हो। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं

आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2011 का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2011 के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय में दिनांक 06–11–2003 से विचाराधीन वाद के दौरान दिनांक 08–06–2006 को प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम का निधन होने पर प्रार्थीगण चन्नीदेवी आदि को उसके वारिसान के रुप में दिनांक 12–06–2006 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर वाद का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23–10–2006 को किया गया। कथित वसीयत दिनांक 16–02–2006 की बताई जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के प्रार्थनापत्र के औचित्य पर प्रमुख प्रश्न चिह्न यह है कि जब दिनांक 08–06–2006 को भीखाराम की मृत्यु होने पर दिनांक 12–06–2006 को ही प्रार्थीगण को वाद में पक्षकार बनाया जा चुका था, तो 23–10–2006 तक विचारण न्यायालय से निर्णय होने तक, अथवा दिनांक 19–10–2007 तक प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहने तक अथवा राजस्व मण्डल में दिनांक 06–01–2011 तक द्वितीय अपील विचाराधीन रहने तक प्रार्थीगण ने कथित वसीयत दिनांक 16–02–2006 के आधार पर किसी प्रकार का दावा या प्रतिदावा (claim or counter-claim) क्यों प्रस्तुत नहीं किया?

8– इसके अलावा विधिक स्थिति यह है कि विचारधीन वाद वादग्रस्त भूमि में वादीगण व मृतक प्रतिवादी भीखाराम के हकों व हिस्से के सम्बन्ध में है। प्रार्थीगण चाहे भीखाराम के प्राकृतिक वारिस हो अथवा वसीयती वारिस हों, उनका हक व हिस्सा स्व. भीखाराम के हक व हिस्से तक ही सीमित है। भीखाराम वादग्रस्त भूमि में अपने हक–हिस्से के सम्बन्ध में स्वयं के जीवनकाल में जवाबदावा प्रस्तुत कर चुका है, जिसके आधार पर तनकियात बन कर एक बार प्रकरण का निर्णय राजस्व मण्डल तक से हो चुका है। वर्तमान में दावा प्रतिप्रेषित हो कर विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। दावे के अन्तिम निर्णय से ही विनिश्चित होगा कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 भीखाराम अथवा उसके वारिसान का कितना हक व हिस्सा है। अगर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि स्व. भीखराम की स्वअर्जित भूमि विनिश्चित होती है तो उक्त सम्पूर्ण भूमि में स्व. भीखाराम के वारिसान को विरासतन अथवा वसीयत के आधार पर हक व हिस्सा स्वतः ही मिल जावेगा। अगर वादग्रस्त भूमि स्व. भीखाराम व वादीगण गोविन्दराम आदि की शामलाती साबित होती है तो स्व. भीखाराम का वसीयत करने का

अधिकार और उसके विरासतन अथवा वसीयती उत्तराधिरीगण का हक व हिस्सा स्व. भीखाराम के हिस्से तक ही सीमित रहेगा। हर स्थिति में स्व. भीखाराम का हक व हिस्सा निर्धारित होने के बाद ही उसके प्राकृतिक वारिसान अथवा वसीयती वारिसान का हक निर्धारित हो सकेगा। स्व. भीखाराम का हक व हिस्सा उसके द्वारा अपने जीवनकाल में प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर ही साक्ष्य व सबूत अनुसार तय हो सकेगा। अतः अब भीखाराम के वारिसान द्वारा वसीयत अथवा अन्य आधार पर नवीन जवाबदावा अथवा प्रतिदावा प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना विधि अनुकूल नहीं होगा।

9— रामेश्वरप्रसाद बनाम प्रतापसिंह एवं अन्य के प्रकरण— 1990 RRD 257 (HC) में प्रतिवादी तखतसिंह का दत्तक पुत्र भवानीसिंह अपने प्राकृतिक पिता देवीसिंह के वारिस के रुप में पहले से ही प्रतिवादी के रुप में पक्षकार था। तखतसिंह व भवानीसिंह— दोनों ही अलग अलग जवाबदावा प्रस्तुत कर चुके थे और दोनों के जवाबदावे परस्पर असंगत व विरोधी (inconsistent and contradictory) थे। तखतसिंह का निधन होने के बाद भवानीसिंह को ही उसका कानूनी वारिस बनाया गया। इसके परिणामस्वरुप स्व. तखतसिंह का जवाबदावा व उसके विधिक वारिस भवानीसिंह का जवाबदावा अलग अलग व परस्पर विरोध की स्थिति में आ गये। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि मृतक तखतसिंह का विधिक वारिस होने के कारण भवानीसिंह अपने पूर्वाधिकारी तखतसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे से पाबन्द है। उक्त निर्णय दिनांक 20—07—1988 के पेरा 11, 12, 13 व 14 निम्न प्रकार हैंः—

> *"11- A legal representative must proceed with the litigation from the stage where death of the plaintiff or defendant had taken place. He is bound by the pleadings of his predecessor in whose place he has been substituted. A legal representative substituted under Order 22 Rule 4 CPC cannot set up a new or individual right. He cannot take up a new and inconsistent plea or a plea contrary to the one taken up by the deceased. He thus stands in the shoes of the deceased plaintiff or defendant as the case may be and must accept the position adopted by his predecessor that is the deceased plaintiff or the deceased defendant.*
>
> *12- Bhawani Singh is, therefore, bound by the written statement filed by the deceased Takhat Singh. He cannot be allowed to repudiate the written statement filed by Takhat Singh. In (4) Thavazhi karnam V. Sankunni, AIR 1935 Madras 52, the learned Single Judge has observed:*

> ***'A party who comes into the suit as the legal representative of another party cannot be allowed to depart from or vary or contradict the attitude taken up by the party whose legal representative he is, it is obvious that if he were permitted to do so, it would be impossible to conduct any litigation where legal representative come in.'***

13- In (5) Babulal V Jeshankar, AIR 1972 Calcutta 494, the following view has been expressed:

> ***"A legal representative substituted in place of a deceased defendant cannot be permitted to make out a new case afresh in another written statement at this stage. He has to take up this suit at the stage at which it was left when the original party died and to continue it. The only right he has is to make a defence appropriate to his character as a legal representative of the deceased defendant. His case is on a different footing than a new defendant which is governed by O.1 R.10(iv). Therefore, only the order for substitution would be served on the substituted defendant and no fresh writ of summons could be issued for service on the substituted defendant."***

14- The substituted defendant Bhawani Singh is, therefore, bound by the written statement filed by Takhat Singh."

10— मृतक प्रतिवादी के विधिक वारिस को प्रतिस्थापित प्रतिवादी के रुप में पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (1) के अन्तर्गत बनाया जाता है और इस प्रकार विधिक वारिस के रुप में प्रतिस्थापित प्रतिवादी की हैसियत अपने पूर्वाधिकारी — मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि की ही होती है। उक्त आदेश 22 का नियम 4 (2) निम्न प्रकार हैः—

> "Any person so made a party may make any defence <u>appropriate to his character as legal representative</u> of the deceased defendant."

उपरोक्त नियम 4 (2) की विवेचना AIR 1972 Calcutta 494 (case of *Babulal N. Shukla Vs. Jeshankar N. Shukla)* में इस प्रकार की गयी हैः—

> *"The substituted party has been given the right to make any defence <u>appropriate to his character as legal representative of the deceased defendant</u>. ……" (para 4)*

"It is well settled that when a party to a suit dies, his legal representative is substituted in order that the suit might proceed and a decision be arrived at. It is the original parties' rights and liabilities that have to be considered and not those of the legal representative… …..…… Defence not open to the defendant, if alive, cannot be raised by his legal representative in that character. ……..... A person substituted as legal representative of a deceased party must adopt the pleadings filed by the deceased party. He cannot raise a new point inconsistent with the pleadings of the deceased. The legal representative of a deceased cannot set up his own claims or rights in the case though he may do so in any other proceedings. …." (para 5)

12— उपरोक्त न्यायिक निर्णयों व विधिक स्थिति के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि किसी मृतक प्रतिवादी के विधिक वारिस के रुप में आदेश 22 के अन्तर्गत प्रतिस्थापित प्रतिवादी बनाये गये पक्षकार और स्वतंत्र हितबद्धता के आधार पर आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत नवीन प्रतिवादी बनाये गये पक्षकार में मूलभूत अन्तर यह है कि विधिक वारिस के रुप में प्रतिस्थापित प्रतिवादी मृतक प्रतिवादी से भिन्न स्थिति (stand) नहीं ले सकता है, जबकि अपनी स्वतंत्र हितबद्धता के आधार पर आदेश 1 नियम 10 के तहत नवीन प्रतिवादी बनाया गया पक्षकार पूर्व के प्रतिवादीगण से स्वतंत्र व अलग आधार स्थिति (stand) ले सकता है। इस बिन्दु पर भी विधिक विवेचना AIR 1972 Calcutta 494 (case of *Babulal N. Shukla Vs. Jeshankar N. Shukla)* में निम्न प्रकार की गयी हैः—

"It is to be noted in this connection, that the case of addition of a defendant is different. Addition of defendant may be made under Order I. Rule 10 (iv) which provides as follows :--

'Where a defendant is added, the plaint shall, unless the Court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of the summons and of the plaint shall be served on the new defendant and, if the Court thinks fit, on the original defendant.'

This rule specifically provides for service of writ of summons on the parties added, but Order XXII, Rule 4 of the Code of Civil Procedure, provides for the procedure in case of death of one of the several defendants or of the sole defendant. Order XXII. Rule 4 is worded differently. This Order says, that any person so made a party may make any defence appropriate to his character as legal representative of the deceased defendant. It is the only right that a substituted defendant has, namely, that

he can make a defence appropriate to his character as a legal representative of the deceased defendant." (para 6)

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण मृतक प्रतिवादी स्व. भीखाराम के वारिसान के रुप में प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण है, अतः स्व. भीखाराम के जवाबदावे से भिन्न उनका जवाबदावा नहीं हो सकता है। अगर प्रार्थीगण वसीयत के आधार पर आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनाये गये होते तो फिर प्रार्थीगण का स्वतंत्र आधार हो सकता था और वे अपना स्वतंत्र जवाबदावा व प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु प्रार्थीगण आदेश 22 नियम 4 (1) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिस्थापित प्रतिवादी होने से मूल प्रतिवादी से अलग जवाबदावा प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं।

13— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या—1 स्व. भीखाराम के वारिसान— चाहे विरासतन चाहे वसीयती— का जवाबदावा स्व. भीखाराम से भिन्न नहीं हो सकता है। उनके अधिकार उक्त स्व. भीखाराम को मिलने वाले हक व हिस्से तक ही सीमित रहेंगे। अतः वर्तमान प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 को खारिज करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 07—07—2011 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

14— परिणामतः हस्तगत निगरानी को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य